परिशिष्ट–'एक'

इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिए समय सारिणी

क्र0	गतिविधियां	समय सीमा	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इलेक्ट्रॉनिक–निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) का वेबसाईट एवं सूचना पटल पर प्रकाशन	T_0*	14.03.2018
2	इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु बोली लगाने की आरंभिक तिथि	T_{21}	03.04.2018
3	इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु बोली लगाने की अंतिम तिथि	T_{28}	09.04.2018
4	इलेक्ट्रॉनिक–निविदा खोलने तथा तकनीकी अर्हताधारी बोलीदारों की घोषणा की तिथि	T_{29}	10.04.2018
5	उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना खोलने की तिथि	T_{29} (अपरान्ह 3.00 बजे)	10.04.2018 (अपरान्ह 3.00 बजे)
6	उच्चतम बोलीदार की घोषणा	T_{30}	11.04.2018
7	पट्टाक्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामि को अथवा पूर्व पट्टाधारी को उच्चतम प्राप्त बोली संबंधी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग (यदि आवश्यक हो।)	T_{37}	18.04.2018
8	अधिमानी बोलीदार की घोषणा	T_{44}	25.04.2018

नोट
1. * T_0 प्रारंभ तिथी।
2. समय सारिणी सांकेतिक है।
3. कंडिका 4 से 7 संबंधी निर्धारित समय सारिणी, शासकीय अवकाश होने की दशा में निर्धारित कार्य आगामी कार्य दिवस में किया जावेगा।

13/03/18
खनि अधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)

e-Tender/e-Auction Template (Minor Mineral Block) Chhattisgarh

S.No.	Details required	
01	Event No. (to be proveded by MSTC)	**MSTC/RPR/DGM/CHHATTISGARH/127/NAYA RAIPUR/17-18/30087**
02	Minor Mineral Block for Composite Licence/Quarry Lease	Village – **Kumhari** Nagar Palika – Kumhari Tehsil/District – **Dhamdha/Durg** Area – **4.625 Hectare**
03	Mineral	**Clay**
04	Name of Tender Committee Member (TCM) who have digital signatures	**1. Umesh Kumar Agrawal**
		2. H.K. Marwah
		3. Praveen Chandraker
05	Tender document fees	**Rs. 5,000/-**
06	Tender processing fees	**Rs. 500/-**
07	Bid Security	**Rs. 45,000/-**
08	Performance Security	**Rs. 2,25,000/-**
09	Reserve Price	**Rs. 04/-**
10	Unit in which offer is to be obtained	**In Rupees per Cubic meter**
11	BID START DATE	**03.04.2018**
12	BID CLOSING DATE	**09.04.2018**
13	Contact Person Mobile/Phone No.	**1. 94252-15980** **2. 97541-33541**

13/03/18

खनि अधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

क्र0 3221/खनिज/ई–नीलामी/2018 दुर्ग, दिनांक 14/3/18

गौण खनिजों के उत्खनन पट्टा आबंटन हेतु इलेक्ट्रॉनिक–निविदा की सूचना

Tender/Event No. :- MSTC/NRO/DGM/CHHATTISGARH/127/NAYA RAIPUR/17-18/30087

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि जिला कार्यालय, खनिज शाखा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 39क अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के माध्यम से निम्नानुसार उत्खनन पट्टा आबंटन किया जाना है। जिस हेतु अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदारों को आमंत्रित किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु बोली, दिनांक 03.04.2018 समय 11.59 PM तक जमा की जाएगी। बोलियां मात्र ऑनलाईन ही स्वीकार की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक निविदा से आबंटित की जा रही उत्खनन पट्टा की जानकारीः–

क्र.	जिला/तहसील	ग्राम पंचायत/ग्राम	रकबा (हे0 में)	खसरा नं.	गौण खनिज का नाम	निविदा दस्तावेज लागत	निविदा प्रक्रिया शुल्क	आरक्षित कीमत (रिजर्व प्राईस)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	दुर्ग/धमधा	कुम्हारी	कुल रकबा 4.625 हे0	1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270/1, 1270/3, 1271, 1272, 1278/2, 1279, 1280 व 1281	मिट्टी	5000	500	4/– प्रति घ. मी.	45000/–	225000/–

1. बोली लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोली लगाने के पूर्व उत्खनन पट्टा की स्थिति, उत्खनन पट्टा में नीलाम किये जा रहे खनिज (खनिजों) की उपलब्धता और गुणवत्ता, पहुंच के रास्ते आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त कर लें। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें स्वीकार नहीं की जायेगी।

2. इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के निबंधन, शर्ते, समेकित अनुज्ञप्ति से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य सुसंगत जानकारी जिला कार्यालय की वेबसाईट **http://durg.gov.in** तथा कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

13/03/18

खनि अधिकारी
जिला – दुर्ग

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

क्र0 /खनिज/ई–नीलामी/2018 दुर्ग, दिनांक

गौण खनिजों के उत्खनन पट्टा आबंटन हेतु इलेक्ट्रॉनिक–निविदा की सूचना

Tender/Event No. :- MSTC/NRO/DGM/CHHATTISGARH/127/NAYA RAIPUR/17-18/30087

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि जिला कार्यालय, खनिज शाखा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 39क अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के माध्यम से निम्नानुसार उत्खनन पट्टा आबंटन किया जाना है। जिस हेतु अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदारों को आमंत्रित किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु बोली, दिनांक 03.04.2018 समय 11.59 PM तक जमा की जाएगी। बोलियां मात्र ऑनलाईन ही स्वीकार की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक निविदा से आबंटित की जा रही उत्खनन पट्टा की जानकारीः–

क्र.	जिला/तहसील	ग्राम पंचायत/ग्राम	रकबा (हे. में)	खसरा नं.	गौण खनिज का नाम	निविदा दस्तावेज लागत	निविदा प्रक्रिया शुल्क	आरक्षित कीमत (रिजर्व प्राईस)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यू रिटी)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यू रिटी)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	दुर्ग/धमधा	कुम्हारी	कुल रकबा 4.625 हे0	1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270/1, 1270/3, 1271, 1272, 1278/2, 1279, 1280 व 1281	मिट्टी	5000	500	4/– प्रति घ. मी.	45000/–	225000/–

1.0 महत्वपूर्ण

1.1 बोली लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोली लगाने के पूर्व उत्खनन पट्टा की स्थिति, उत्खनन पट्टा में नीलाम किये जा रहे खनिज (खनिजों) की उपलब्धता और गुणवत्ता, पहुंच के रास्ते आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त कर लें। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें स्वीकार नहीं की जायेगी।

1.2 इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के निबंधन, शर्ते, समेकित अनुज्ञप्ति से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य सुसंगत जानकारी जिला कार्यालय की वेबसाईट http://durg.gov.in तथा कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी।

2.0 पंजीयन की प्रक्रिया

2.1 पंजीयन प्रक्रिया पूर्व पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और न्यूनतम क्लास–II डिजिटल सर्टिफिकेट (साइनिंग एण्ड एन्क्रिप्शन) होना आवश्यक है।

2.2 इलेक्ट्रॉनिक–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय वेबसाईट में www.mstcecommerce.com (पोर्टल) में सर्वप्रथम पंजीयन कराना होगा। MSTC के पोर्टल में पूर्व से पंजीकृत व्यक्ति को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा MSTC के द्वारा उपलब्ध कराये गये फोन नंबर पर आप आवश्यकतानुसार मदद ले सकते हैं।

2.3 पंजीयन की प्रक्रिया MSTC पोर्टल एवं खनिज साधन विभाग के शासकीय वेबसाईट www.chhattisgarhmines.gov.in में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) के अनुसार रहेगी।

2.4 उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपका पंजीयन सक्रिय हो जाएगा एवं आप इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी और निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते है। आपका पंजीयन आगामी ऐसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी/निविदा के लिए एक वर्ष हेतु वैध होगा।

3.0 इलेक्ट्रॉनिक–निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया

3.1 इलेक्ट्रॉनिक–निविदा की सूचना (एनआईटी), www.mstcecommerce.com (पोर्टल) में इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के न्यूनतम 21 दिवस पूर्व प्रदर्शित होगी जिसे अवलोकनार्थ निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा करने संबंधी मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा MSTC के द्वारा उपलब्ध कराये गये फोन नंबर पर आप आवश्यकतानुसार मदद ले सकते हैं।

3.2 इलेक्ट्रॉनिक निविदा हेतु दस्तावेज, शुल्क एवं प्रतिभूति का जमा किया जाना एवं निविदा प्रक्रिया, उक्त पोर्टल में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अनुसार होगी।

3.3 उत्खननपट्टा की इलेक्ट्रॉनिक निविदा में भाग लेने के लिये, आवेदक को नियम 5 के उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा। इस बाबत् बोलीदार को इलेक्ट्रॉनिक–निविदा पोर्टल में यथास्थान पैन/टिन (यथास्थिति व्यक्तिगत अथवा फर्म, एसोसिएषन अथवा कंपनी के संबंध में) तथा सौ रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर में निर्धारित शपथ पत्र, अपलोड करना होगा।

3.4 इलेक्ट्रॉनिक–निविदा में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण इलेक्ट्रॉनिक–निविदा में भाग लेने के लिये पात्रता हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और ऐसे पात्र बोलीदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जायेगा। सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल पात्र बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

4.0 इलेक्ट्रॉनिक–निविदा प्रक्रियाः–

4.1 कंडिका 3 अनुसार प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त पोर्टल पर पुनः लॉगइन कर प्रस्तावित नीलामी राशि (ऑक्शन मनी) रूपये प्रति घनमीटर/प्रति मीट्रिक टन अथवा अन्य किसी मानक इकाई में डालना होगा।

4.2 आपके द्वारा प्रस्तावित नीलामी राशि (ऑक्शन मनी) किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु निर्धारित आरक्षित कीमत (रिजर्व प्राईस) से कम नहीं होनी चाहिए।

4.3 बोलीदार इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु अंतिम तिथि (बिड ड्यू डेट) तक अपनी पूर्व में दर्ज की गई नीलामी राशि (ऑक्शन मनी) में संशोधन कर सकता है।

4.4 उच्चतम बोलीकर्ता (एच–1 बिडर) को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई–मेल से उच्चतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जाएगी, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है। इस सूचना का प्रिंट लेकर जिस जिले में उत्खनन पट्टा स्थित है उस जिले के कलेक्टर कार्यालय, खनि शाखा से 03 दिवस में संपक्र करना होगा।

4.5 उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित एवं ई–मेल के माध्यम से अधिमानी बोलीदार (प्रीफर्ड बिडर) घोषित किया जाएगा।

4.6 अधिमानी बोलीदार घोषणा तिथि के 07 दिवस के भीतर, बोलीदार को डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से पृष्ठ क्रमांक 1 में दर्शित तालिका के कॉलम क्रमांक 11 अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी) जमा किया जाना होगा। उपरांत इस बाबत् एक आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट, एलओआई) जारी किया जाएगा।

4.7 अधिमानी बोलीदार द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर कार्यपालन प्रतिभूति जमा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति जब्त योग्य होगी।

5.0 इलेक्ट्रॉनिक–निविदा की निबंधन तथा शर्तें

5.1 उत्खनन पट्टा के लिए पात्रता,–

(एक) उत्खनन पट्टा की इलेक्ट्रॉनिक निविदा में भाग लेने के लिये, आवेदक नियम 5 (1) में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा। इस बाबत् बोलीदार को पैन/टिन (यथास्थिति व्यक्तिगत अथवा फर्म, एसोसिएषन अथवा कंपनी के संबंध में) तथा सौ रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर में निर्धारित शपथ पत्र, भौतिक रूप से बिड ड्यू डेट के पूर्व संबंधित जिला कार्यालय के खनिज शाखा में जमा किया जाना होगा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक–निविदा में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण इलेक्ट्रॉनिक–निविदा में भाग लेने के लिये पात्रता हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और ऐसे पात्र बोलीदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जायेगा। सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

5.2 उत्खनन पट्टा प्रदान करने का आदेशः–

5.2.1 निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार नियम 46 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से एक कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और ऐसी कार्यपालन प्रतिभूति के प्राप्त होने पर, मंजूरकर्ता प्राधिकारी, अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र या आदेश जारी करेगा।

5.2.2 आशय पत्र प्राप्त होने पर, अधिमानी बोलीदार को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर सफल बोलीदार समझा जायेगा, अर्थात्:–

5.2.2.1 पात्रता संबंधी सभी शर्तो का पालन;

5.2.2.2 सभी सहमतियों, अनुमोदन, अनुज्ञा पत्रों, अनापत्तियों और वैसे ही अन्य दस्तावेजों को जो उत्खनन संबंधी संक्रियाओं को प्रारंभ करने संबंधी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करना;

5.2.2.3 निजी भूमि के लिए भूमि स्वामी/स्वामियों की सहमति; और

5.2.2.4 नियम 24 के अनुसार तैयार किया गया और अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत करना।

5.2.3 नियम 42 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने पर मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा सफल बोलीदार को उत्खनन पट्टा प्रदान किया जायेगा और ऐसे उत्खनन पट्टा इन नियमों के ऐसे उपबंधो के अधीन रहते हुए होगा, जो उत्खनन पट्टे को लागू हो।

5.2.4 उत्खनन पट्टा प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसे न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं होगा, जिस हेतु उत्खनन पट्टा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदान किया जा सके एवं इन नियमों के अनुसार अधिकतम क्षेत्र होगा।

5.2.5 आशय पत्र जारी होने की तिथि से वन भूमि के संबंध में एक वर्ष तथा गैर वन भूमि के संबंध में छः माह के भीतर उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर, आशय पत्र को स्वमेव निरस्त माना जायेगा और सफल बोलीदार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यपालन प्रतिभूति राजसात किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि यदि अधिमानी बोलीदार के पास समय के भीतर, उप–नियम (2) की शर्तें पूर्ण नहीं करने का पर्याप्त कारण होने पर, संचालक द्वारा उप–नियम (5) की कालावधि में छः माह की अतिरिक्त कालावधि बढ़ाई जा सकेगी।

5.3 इलेक्ट्रॉनिक निविदा,–

5.3.1 निविदा केवल ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित की जायेगी।

5.3.2 कलेक्टर, ऐसे किसी ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेगा, जो कि मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक –उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

5.4 बोली लगाने के लिये मानक,–

5.4.1 एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे आरक्षित कीमत कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

5.4.2 बोलीदार द्वारा ''नीलामी राशि'' के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु निविदा के लिये निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर/टन/अन्य मानक इकाई में, जो कि आरक्षित कीमत से अधिक होगी, उद्धृत की जायेगी।

5.4.3 नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में निविदा की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

5.4.4 जहां किसी क्षेत्र को एक से अधिक खनिज के लिये इलेक्ट्रॉनिक निविदा द्वारा आवंटित किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी की राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

5.4.5 उत्खनन् पट्टा अनुदत्त किये जाने के पश्चात्, यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

5.5 बोली लगाने की प्रक्रियाः–

5.5.1 बोलीदारों को निविदा दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि दी जायेगी।

5.5.2. बोली लगाने की प्रक्रिया, निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिनों की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। निविदा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर एक इलेक्ट्रॉनिक निविदा की प्रक्रिया होगी।

5.5.3 बोलीदार जो उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना देता है उसे अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा।

5.5.4 दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी राशि की दशा में, जिस बोलीदार द्वारा पहले बोली प्रस्तुत की गयी हो, उसे अधिमानित बोलीदार घोषित किया जायेगा। लिखित में कारण अंकित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक–निविदा को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

5.5.5 पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकारः– जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा हेतु अधिसूचित कोई भूमि पूर्णतः या अंशतः निजी भूमि हो, ऐसे प्रकरण में किसी बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत

प्रस्थापना का प्रकटन किया जायेगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामी हो, को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार किये जाने पर उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु यह कि निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग किये जाने की सूचना निविदा के लिए रखे गये उक्त क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत के घोषणा की तिथि से सात दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में विफल होता है तो यह मान्य किया जायेगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

5.5.6 पट्टाधारी को प्रथम इंकार का अधिकार– पट्टा की कालावधि समाप्ति पर इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से पट्टा क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक निविदा हेतु रखा जायेगा। उक्त पट्टा क्षेत्र के धारक को निविदा में भाग लेने पर प्रथम इंकार का अधिकार दिया जायेगा।

5.5.7 यदि इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिये नियत तारीख में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण अंकित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक–निविदा को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

5.6 सफल बोलीदार (सक्सेसफुल बिडर) को छोड़कर, बोली प्रतिभूति अन्य समस्त बोली लगाने वाले को ई–पेंमेट की प्रक्रिया के माध्यम से वापसी योग्य होगा। अधिमानी बोलीदार को सूचना प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना होगा, अन्यथा ऐसे सफल बोलीदार द्वारा जमा बोली प्रतिभूति राजसात योग्य होगा। परफॉरमेंस सेक्युरिटी लाईसेंस/लीज की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् केवल तभी वापसी योग्य होगा, जब सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि लाईसेंसी/लेज़ी द्वारा समस्त नियमों और/या करार की शर्तो का समाधानप्रद रूप से पूरा किया है।

5.7 सफल बोलीदार को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 06 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत करना होगा और लाईसेंस/लीज करार निष्पादित करेगा। यदि खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति उपरोक्त कालावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जा सकने वाले कारणों के आधार पर अतिरिक्त समयावधि इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु दी जा सकेगी।

5.8 सफल बोलीदार को उत्खनन पट्टा अनुबंध निष्पादन पूर्व, यदि उपयुक्त हो खनिज राजस्व बकाया नहीं प्रमाण पत्र जमा करना होगा। उत्खनन पट्टा अनुबंध पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 अनुसार निष्पादित एवं पंजीकृत किया जाएगा। यदि सफल बोलीदार प्रदेष में खनिज रियायत धारी नहीं है अथवा पूर्व में नहीं रहा है, इस स्थिति में तत्संबंधी शपथ पत्र देना होगा।

5.9 नीलामी राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

5.9.1 उत्खनन पट्टा धारी को नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक निविदा की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

5.9.2 नीलामी राशि में मूल्य वृध्दि, थोक मूल्य सूचकांक (होलसेल प्राईस इंडेक्स) के आधार पर निम्नानुसार निर्धारण योग्य होगी।

$$\text{मूल्य वृध्दि} = \frac{\text{नीलामी राशि}}{\text{वर्ष 2016 के लिए थोक मूल्य सूचकांक}} \times \text{चालू वर्ष के लिए थोक मूल्य सूचकांक}$$

5.9.3 उत्खनन पट्टा धारी द्वारा अन्य किसी तत्समय प्रभावकारी अधिनियम अथवा नियम के तहत देय राशि का भी भुगतान करना होगा।

5.10 कार्यपालन प्रतिभूति उत्खनन पट्टा अनुबंध के तहत समायोजन योग्य होगी।

5.11 यदि नीलाम राशि या अन्य कोई देय राशि नियमानुसार निर्धारित कालावधि के भीतर जमा नहीं की जाती हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उत्खनन पट्टाधारी द्वारा जमा कार्यपालन प्रतिभूति या उसका भाग समायोजन कर सकेगा। उस दशा में इस प्रकार समायोजन की गई राशि, उत्खनन पट्टाधारी को 15 दिवस में पुनः पूर्ण/जमा करना होगा।

5.12 उक्त के अतिरिक्त उत्खनन पट्टा धारी को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 (यथा संषोधित) अंतर्गत निहित शर्तों के तहत उत्खनन पट्टा का संचालन एवं जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

6.0 कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेजों/शर्तो में सुधार/परिवर्तन किया जा सकेगा। जिसकी जानकारी केवल (वेबसाईट) में प्रदर्शित की जावेगी। ऐसा सुधार/परिवर्तन बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

7.0 बोलीदार द्वारा निविदा हेतु अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार है :–

1- पैनकार्ड/टिन नंबर

2- शपथ पत्र (एफिडेविट)

3- फर्म अथवा कंपनी की स्थिति में शपथकर्ता के पक्ष में विधिवत् Power of Attorney/Authorization Letter.

8. इलेक्ट्रॉनिक- निविदा हेतु अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज.

क्रमांक	दस्तावेज़	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
1.	इलेक्ट्रॉनिक–निविदा समय सारिणी	एक	
2.	क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन एवं विवरण/संक्षेपिका	दो	
3.	इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण (जिसमें समाहित वन भूमि, राजस्व भूमि और निजी भूमि का विवरण है)	तीन	
4.	उत्खनन पट्टा अनुबंध	चार	

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

13/03/18

खनि अधिकारी
जिला – दुर्ग

परिशिष्ट–दो

क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन एवं विवरण/संक्षेपिका

(1) स्थान का विवरण –

(i) जिला – दुर्ग
(ii) तहसील – धमधा
(iii) ग्राम – कुम्हारी
(iv) टोपोशीट नंबर – नहीं है
(v) अक्षांश/देशांश (यदि उपलब्ध हो) – नहीं है

(2) क्षेत्र का विवरण –

स.क्र.	खसरा क्र.	रकबा (हे.)	भूमि का प्रकार (राजस्व भूमि/वन भूमि/निजी भूमि इत्यादि)	नोइयत (पहाड़ चट्टान/घास/चारागाह इत्यादि)
1	1265	0.150	निजी भूमि	–
2	1266	0.217	निजी भूमि	–
3	1267	0.611	निजी भूमि	–
4	1270/3	0.405	निजी भूमि	–
5	1271	0.320	निजी भूमि	–
6	1281	0.380	निजी भूमि	–
7	1268	0.291	निजी भूमि	–
8	1270/1	0.590	निजी भूमि	–
9	1264	0.603	निजी भूमि	–
10	1274	0.466	निजी भूमि	–
11	1278/2	0.142	निजी भूमि	–
12	1279	0.450	निजी भूमि	–
13	1280		निजी भूमि	–
कुल	**13**	**4.625**	निजी भूमि	निजी भूमि

(3) खनिज का विवरण –

स.क्र.	खनिज	विवरण	रिमार्क
1	नाम	मिट्टी	अनुसूची एक के भाग ग के सरल क्रमांक 05 में वर्णित स्थायी चिमनी भट्ठे द्वारा ईट निर्माण हेतु साधारण मिट्टी
2	पूर्वेक्षित/अपूर्वेक्षित	अपूर्वेक्षित	आसपास मिट्टी की खदान है।
3	अनुमानित भंडार	92500 घनमीटर	02 मीटर गहराई तक
4	ग्रेड	लो–ग्रेड	
5	अन्य जानकारी (आवेदित क्षेत्र एवं 100 मीटर के दायरे में दृष्टिगोचर सरफेस फीचर्स् जैसे – आउटक्रॉप, नाला/रोड कटिंग, कुआँ/ट्यूब वेल इत्यादि)	नियमानुसार निर्धारित दूरी के दायरे में नहीं है।	

परिशिष्ट–तीन

इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण प्रतिवेदन

स.क्र.	विवरण	हाँ / नहीं	रिमार्क
1	सक्षम अधिकारी का प्रतिवेदन	हां	तहसीलदार धमधा का प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2017
2	फील्ड बुक	हां	प्रति संलग्न है
3	सीमांकन पंचनामा	हां	प्रति संलग्न है
4	खसरा पांचसाला	हां	प्रति संलग्न है
5	नक्शा	हां	प्रति संलग्न है
6	ग्राम पंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)	हां	प्रति संलग्न है

13/03/18

खनि अधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)